भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1192
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

रोजगार स्तर में वृद्धि करने के लिए नीति

1192. श्री जगदम्बिका पालः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् से शहरों में रोजगार स्तर में वृद्धि करने के लिए कोई नीति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने असंगठित शहरी क्षेत्रों के कामगारों को सहायता या रोजगार प्रदान करने के लिए नीति बनाई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): सरकार ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने एवं कामगारों की सहायता करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), आत्मनिर्भर भारत एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के माध्यम से कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं को कम करने के लिए अनेक पहले की हैं। आत्मनिर्भर भारत युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, उत्साहवर्धक जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है। । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन को सुगम बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रु. का आर्थिक पैकेज शामिल है।

कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप आरंभ की गई प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों जिनके 90% कर्मचारी, 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाने एवं रोजगार का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता डालने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

नियोजनीयता में सुधार एवं रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में (शहरों एवं असगंठित शहरी क्षेत्रों के कामगारों सहित) रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएमईजीपी, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता और सुमेघता को कम करना है, ताकि उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने में समर्थ बनाया जा सके ताकि स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार किया जा सके।

*****